कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) प्रा0शि0 भरतपुर

क्रमांक :– जिशिअ / (मु0)प्रा0शि0 / भरत / आरटीई–मान्यता / 2643 दिनांक :– 17.03.2023

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 1016 दिनांक 28.11.2012 द्वारा मानव भारती सै0 स्कूल सेवर, भरतपुर को निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 2011 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2013 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया था।

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग जयपुर के आदेश कमांक पं.12(6) शिक्षा–5 / आरटीई दिशा–निर्देश / 2014–पार्ट / दिनांक 05.03.2018 की पालना में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.11.2012 को जारी की गयी मान्यता को स्थाई किया जाता हैं। शेष शर्त मूल आदेश पत्र के अनुसार रहेगी। विधालय अध्यक्ष ने अवगत कराया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.01.2021 के द्वारा विद्यालय का नाम मानव भारती माध्यमिक विद्यालय भरतपुर का नाम परिवर्तित कर एम.बी.एस इन्टरनेशनल स्कूल, भरतपुर कर दिया गया है।

17/3/23

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा0शि0 भरतपुर

क्रमांक :– जिशिअ / (मु0)प्रा0शि0 / भरत / आरटीई–मान्यता / 2643 दिनांक :– 17.03.2023
दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान निदेशक .महोदय, प्रा0शि0 राजस्थान बीकानेर।
2. संस्था प्रधान एम.बी.एस इन्टरनेशनल स्कूल, भरतपुर
3. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा0शि0 भरतपुर

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शिक्षा भरतपुर

पत्रांक :– 1016 दिनांक 28-11-12

प्रबन्धक, मानव भारती सै० स्कूल सेवर, भरतपुर

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय /महोदया,

आपके दिनांक .... के आवेदन और इस सम्बन्ध मे विधालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै मानव भारती सै० स्कूल सेवर भरतपुर (विधालय का नाम पते सहित) को दिनांक .... से 31-3-13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा I से कक्षा VIII तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2 विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–09 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा ।

3 विधालय कक्षा–1 मे, उस कक्षा के बालको की संख्या के प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4 पैरा–3 निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5 सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग पकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6 विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म सीन,धर्म,जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपबन्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7 विधालय सुनिश्चित करेगा कि–

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना ।

6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

8. अध्यापक स्वयं किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात मे विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है –

विद्यालय परिसर का क्षेत्र– 5.75 बीघा

कुल निर्मित क्षेत्र– 21000 वर्ग फुट

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल– 4000 वर्ग फुट

कक्षा कमरों की संख्या 21

प्रधानाध्यापक – सह कार्यालय –सह भण्डार कक्ष– 01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– है

पेयजल सुविधा– है

मिड डे मील पकाने के लिए रसोई– नहीं

बाधा रहित पहुँच– है

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूदउपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – है

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जाएंगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय को व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शिक्षा) भरतपुर .... को भेजी जानी चाहिए।

16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड क्रमांक 1457 है। कृपया इसके नोट कर ले और इस विद्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19 संलग्न उपाबन्ध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शिक्षा भरतपुर

कमियाँ:
1. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं है

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

No. CBSE/Aff./1730200/CN-00147-2122/2020 **Dated: 14/01/2021**

THE MANAGER
MANAV BHARTI MADHMIK VIDYALAYA
NARMADA GATE BHARATPUR RAJASTHAN -321001

Sub: Permission for change in School's name – reg

Sir/Madam,

This has reference to your online application bearing registration no CN-00147-2122 on the above subject. In this connection, I am directed to inform you that the Competent Authority of the Board has considered your request for change in school's name from "MANAV BHARTI MADHMIK VIDYALAYA " To "M B S INTERNATIONAL **SCHOOL"**

In the light of supporting documents submitted by the school and the Board has decided to approve the change in school's name as under:-

From	To
MANAV BHARTI MADHMIK VIDYALAYA NARMADA GATE BHARATPUR RAJASTHAN -321001	**M B S INTERNATIONAL SCHOOL** NARMADA GATE BHARATPUR RAJASTHAN -321001

Therefore, the school should change all the records and letter head accordingly. All concerned are requested to note in above in change in school name accordingly. The above approval will be subject to following conditions:-

- The school will not run any branch or part of school with old name and will not use its old name in any manner in future
- The liability of the school, whatever before name change, will be the liability of the school for all purposes after change name
- The CBSE shall not be responsible for any dispute arising out of change of name of the school or transfer of society.

JOINT SECRETARY (AFF.)

Copy for information and necessary action to:-

1. The Joint Secretary (IT), AMC Unit, CBSE, Preet Vihar, Delhi with the request to update the record.
2. The Head, (Media and PR) ,CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi
3. The Regional officer, CBSE Regional Office Todar Mal Marg Ajmer, Rajasthan
4. The Principal, MANAV BHARTI MADHMIK VIDYALAYA NARMADA GATE BHARATPUR RAJASTHAN -321001

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092
Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in